

प्रारूप - एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा

पत्र क./.11049/भू-अर्जन/2024

दिनांक 03-08-2024

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपतित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	कटघोरा	कटकीडबरी	1.803 हे.	हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला - इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाधात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28/08/24 समय ..... बजे से रथान ग्राम पंचायत भवन नवापारा में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि का अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण  | : | हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला - इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी   |
| 2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या  | : | 22 परिवार   |
| 3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या   | : | 22 परिवार   |
| 4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या             | : | निरंक   |
| 5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या           | : | निरंक   |
| 6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?   | : | हॉ  |
| 7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?                             | : | हॉ  |
| 8. परियोजना की कुल लागत  | : | रु. 199.20 करोड़  |
| 9. परियोजना से होने वाले लाभ   | : | मार्ग निर्माण होने से ग्रामवासी जिला मुख्यालय से सतत जुड़ जावेगे तथा कोयला परिवहन हेतु मार्ग उपयोगी होगा।                               |
| 10. प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय | : | प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है। |
| 11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक:   | : | निरंक   |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति का कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

कार्यपालन अधिकारी  
लो.नि.वि. कोरबा संभाग कोरबा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
सह. भू-अर्जन अधिकारी  
कटघोरा

(अजीत वसंत)  
कलेक्टर  
जिला-कोरबा  
एवं पदेन उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग